

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

12

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 283/2022

जसवन्त सिंह निर्वाण, 205, श्याम नगर, सिरसी मोड, आनन्द पैराडाईज विला के पास, जयपुर, पिन कोड 302041
बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनूं।


सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक 01.09.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 17.08.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 283/2022 पर दिनांक 17.08.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/4369-70 दिनांक 17.08.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16 (4)(5) न्याय/सू०अ०/22/1119 दिनांक 23.08.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी जसवन्त सिंह निर्वाण, 205, श्याम नगर, सिरसी मोड, आनन्द पैराडाईज विला के पास, जयपुर का आवेदन आरटीआई पोर्टल पर दिनांक 14.05.2022 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16 (4)(5) न्याय/सू०अ०/09/208 दिनांक 17.05.2022 के द्वारा तहसीलदार खेतडी को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र भिजवाया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16 (4)(5) न्याय/सू०अ०/22/1119 दिनांक 23.08.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी जसवन्त सिंह निर्वाण, 205, श्याम नगर, सिरसी मोड, आनन्द पैराडाईज विला के पास, जयपुर का आवेदन आरटीआई पोर्टल पर दिनांक 14.05.2022 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध में उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16 (4)(5) न्याय/सू०अ०/09/208 दिनांक 17.05.2022 के द्वारा तहसीलदार खेतडी को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र भिजवाया गया है। चूंकि अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचना उसे प्राप्त नहीं हुई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि तहसीलदार खेतडी अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचना उसे 7 दिन में निःशुल्क उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 01.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(एल०एस०कुडी)

जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं

